



2026:AHC: 129713

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21146/2026

मीना देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अंकिता पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंकिता पाण्डेय और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना तरया सुजान, जिला कुशीनगर में मुकदमा अपराध संख्या 32 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 105 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. एफ.आई.आर. के अभिकथन के अनुसार, जो शिकायतकर्ता श्रीमती लालमनी देवी द्वारा 12.02.2026 को दर्ज की गई है, यह आरोप है कि 05.02.2026 को, जब उनका देवर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में, आवेदक-अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्तों अर्थात् माखन के पुत्र किसान, किसान के पुत्र अवधेश, किसान के पुत्र राधेश्याम और किसान की पत्नी मीना देवी, जो रास्ते में छिपे हुए थे, ने अचानक मृतक बुलट निषाद पर लाठी डंडे, लात से हमला किया और बेरहमी से पीटा। घायल बुलट निषाद को अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, इलाज के दौरान 12.02.2026 को उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वाद को बी.एन.एस. की धारा 105 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।

4. अभियुक्त-आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में, वर्तमान अभियुक्त-आवेदक श्रीमती मीना देवी सहित एफ.आई.आर. में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य अभिकथन किए गए हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-आवेदक एक घरेलू महिला है और अन्य सह-अभियुक्त किसान की पत्नी है, जो घर की देखभाल करती है और बच्चों की देखभाल करती है। इस आधार पर, यह प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त-आवेदक मीना देवी को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन ईमानदारी से प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. में नामजद अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त-आवेदक मीना देवी ने मृतक बुलट निषाद को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर चोट आई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान अभियुक्त-आवेदक की अन्य अभियुक्तों को सौंपी गई भूमिका के समान ही भूमिका है और इसलिए, उसे अन्य अभियुक्तों से अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान अभियुक्त मीना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



देवी का जमानत आवेदन केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वह एक महिला और घरेलू पत्नी है।

6. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों और प्रति-तर्कों को विस्तार से सुनने के बाद, एफ.आई.आर. के परिशीलन से पता चलता है कि अपराध कारित करने के लिए वर्तमान अभियुक्त आवेदक मीना देवी सहित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। सामान्य आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने लाठी डंडे और लात से मृतक बुलट निषाद पर हमला किया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। एफ.आई.आर. में वर्णित तथ्यों और मृतक बुलट निषाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिशीलन से, यह पाया गया है कि मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर की चोट के कारण कोमा है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए एफ.आई.आर. में सामान्य आरोपों और इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक एक महिला और घरेलू पत्नी है, लेकिन गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक **मीना देवी** को थाना तरया सुजान, जिला कुशीनगर में मु.अ.सं. 32 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 105 के संबंध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगी या परेशान नहीं करेगी।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगी, जिसकी वह अभियुक्त है, या जिस अपराध को कारित करने के संबंध में उसे संदिग्ध माना जाता है।

v) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्य प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी)

30 जून, 2026

एन.एस.सी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”